शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 नवम्बर 2017
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

संपादकीय

स्त्री शक्ति और ग्राम पंचायत

डॉ.पुष्पेंद्र दुबे

वर्तमान में भारत की ग्राम संस्थाएं अनेकानेक कारणों से टूट गयी हैं। आधुनिक विचारों की रोशनी में गांवों को सशक्त बनाने के लिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की गई। मध्यप्रदेश इसे लागू करने वाला पहला राज्य बना। लेकिन यह भी देश में अपनी तरह का पहला मामला है कि निर्वाचित महिला सरपंच ने शपथ पत्र देकर अपने सारे अधिकार अपने देवर को दे दिए। लोकतंत्र में यह स्थिति शायद पहली बार उपस्थित हुई है। महिला सरंपच ने यह तर्क दिया है कि चूंकि वह जनपद मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर रहती हैं, इसलिए वे सरपंच का दायित्व अपने देवर को सौंप रही हैं, जो पूर्व में सरपंच रह चुके हैं। महिला सरपंच निरक्षर भी है। यह व्यवस्था 2015 से चल रही है। इस प्रकार का मुख्तयार करने वाले नोटरी भी अब इसे गलत ठहरा रहे हैं। कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। पंचायती राज व्यवस्था विकेंद्रित शासन-प्रशासन की ओर उठाया गया महत्वपूर्ण कदम था। उसमें भी महिलाओं को नेतृत्व प्रदान करना और बड़ी बात थी। लेकिन पुरुष प्रधान समाज और मानसिकता आज भी महिलाओं का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आज मध्यप्रदेश में पंचायतों की संख्या 23012 है। तीनों स्तर पर लागू इस व्यवस्था में महिलाओं लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। महिला सरपंच के इस कदम ने अनेक प्रश्न उपस्थित किए हैं। जब से पंचायती राज की स्थापना हुई है, तब से महिला सरपंचों के सारे काम उनके पति अथवा परिवार का पुरुष वर्ग ही देखता आ रहा है। इक्का-दुक्का अपवादों को छोड़ दें तो लगभग पच्चीस से तीस वर्ष का लेखा-जोखा इसी बात को पुष्ट करता है। अभी तक जो व्यवस्था अलिखित रूप में समाज को मान्य थी, उसे महिला सरपंच ने लिखित रूप में शपथ पत्र देकर स्वीकार कर लिया। यह कटु सत्य है कि ग्रामीण समाज दबंग पुरुषों से संचालित होता है। सत्ता के सूत्र उन्हीं के पास होते हैं। महिला प्रतिनिधियों पर होने वाले अत्याचार यही कहानी कहते हैं। आज महिलाएं राजनीति का सूक्ष्म अध्ययन किए बिना उसके दुष्चक्र में फंस गयी हैं। राजनीति में क्या-क्या हो रहा है, यह निरीक्षण करने की शक्ति उन्हें हासिल नहीं हुई है। उन्हें कानून ने तो अधिकार दे दिए परंतु उसका उपयोग करने की अक्ल उनके पास नहीं है। आज बनने वाली ग्रामसभा का गठन सत्ताकांक्षा से हुआ है। ऊपर से नियंत्रित होने के कारण सभी लोग सत्ता हाथ में लेना चाहते हैं। इससे गांव की शक्ति क्षीण होती जा रही है। पंचायतों को पक्षातीत बनाने के लिए गांवों में पूर्णतः महिला पंचायतों का गठन किया जा सकता है। फिलहाल मध्यप्रदेश में सात, महाराष्ट्र में तेरह, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ओडिसा, हरियाणा में एक-एक ग्राम पंचायत पूर्णतः महिला पंचायत है। जब किसी मां के लड़के लड़ते हैं तो वह किसी एक का पक्ष नहीं लेती, बल्कि वह दोनों को संभालती है। अपने देश की स्त्रीशक्ति पर द्वेषयुक्त राजनीति को तोड़ने की महती जिम्मेदारी है।